

मूल वाद में डिग्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

1. लीतुराम पुत्र रामकिशन

1. रामकिशन पुत्र राजीनाम जाटिजाट

2. सुरेन्द्र पुत्र रामकिशन जाटि

निवासी मुन्नी

दावा बाबत :- जाट सां मुन्नी 88 RASV

2. आर. एम. जी. जी. वैठ शाखा भादरा

मुकदमा नम्बर :- 231/2021

3. राजधान मरहार परिषद TDR


निर्णय दिनांक :- 15.12.21

वादी की ओर से वकील भानु प्रसाद ९९ की व प्रतिवादी सं० — की ओर से वकील मुन्नीराम गोस्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.12.21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

मुन्नीराम राजीनाम रोही मौजा मुन्नी के खाला म० 276/33 के खाला म० 200/1 की 19.349 हे० खाला म० 201 की 6.728 हे० खाला म० 268 की 3.048 हे० खाला म० 341 की 0.645 हे० कुल 29.770 हे० वाली खालादारी जो रामकिशन के नाम 1241/14885 व 1241/29770 दिखाने में दृष्टिगत म० 01 की वजाय वारीगण लीतुराम व सुरेन्द्र तथा दृष्टि म० 1 रामकिशन जो वदिसा वरावर के खालादारी मरहार घोषित किए जाते थे दृष्टि मुन्नी वैठ के रदन हे री रदन मुक होने पर उपरोक्तानुसार वारीगण व दृष्टि म० 01 जो वदिसा वरावर के मरुमा राजस्व रिहाई में दर्ज कर रिहाई उक्त दिप जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिग्री आज दिनांक 15.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़